न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे

निगरानी प्र0 क0 2366–दो/2012 विरूध्द आदेश दिनांक 30–05–2012 पारित अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा प्रकरण कमांक 113/निगरानी/2011–12.

1– बकार मोहम्मद तनय हाजी अब्दुल हमीद
2– गौस मोहम्मद व शाहिम हामिद तनय मो0 तनवीर अहमद
3– महमूद अहमद तनय अजीज अहमद
सभी नि0 हाल मुकाम ग्राम गेंदुरहा, तह0 त्यौंथर,
उप-तहसील जवा, जिला रीवा, म0प्र0

——— आवेदकगण

विरूध्द

म0प्र0 शासन व्दारा जिलाध्यक्ष,
जिला रीवा, म0प्र0

—— अनावेदक

श्री प्रदीप श्रीवास्तव, अभिभाषक – आवेदकगण
श्री एच0के0 अग्रवाल, पैनल अभिभाषक– अनावेदक शासन

आदेश

(आज दिनांक 12. 6. 2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क0 113/निगरानी/2011 12 में पारित आदेश दिनांक 30–05–2012 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम पनवारकला के ग्रामवासियों व्दारा कलेक्टर के समक्ष आवेदनपत्र प्रस्तुत किया कि आराजी नम्बर 234

रकबा 123.12 एकड़ भूमि पथरीली एवं नाकाबिल काश्त भूमि है जिस पर ग्राम गैदुरहा, पनवार आदि कई गावों का निस्तार होता है, इस भूमि के कुछ रकबे पर शमशान है, जहॉ मुर्दे जलाये जाते है। आवेदन में यह भी अंकित किया गया कि आराजी नं0 234 अर्सा पूर्व एक वर्ष के लिये विकमजीतसिंह को लीज पर दी गयी थी और लीज की अवधि नहीं बढाई गई। कलेक्टर ने तहसीलदार, त्यौथर एवं अनुविभागीय अधिकारी से जॉच प्रतिवेदन प्राप्त किये गये। जॉच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कलेक्टर ने दिनांक 24–7–93 व्दारा प्रकरण स्वमेव निगरानी में पंजीबध्द कर आवेदकगण को कारण बताओ सूचनापत्र जारी किया। आवश्यक कार्यवाही के पश्चात कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 5–1–94 में यह निष्कर्ष निकाला कि प्रश्नाधीन भूमि विकमजीतसिंह को भूमि सुधार की शर्त पर डेढ वर्ष के लिये पट्टे पर दी गयी, किन्तु इस शर्त का पालन नहीं किया गया। प्रश्नाधीन भूमि नं0 234 बन्दोवस्त अभिलेख मे नाकाबिल काश्त दर्ज है। रीवा राज्य कानून मालगुजारी काश्तकारी 1935 की धारा 57(4) के अनुसार विकमजीतसिंह की स्थिति गैर–हकदार की नहीं थी, क्योंकि खतौनी के अनुसार भूमि नं0 234 रकबा 123.12 जंगल दर्ज थी तथा कॉलम नं0 3 में नोईयत नाकाबिल काश्त दर्ज है। प्रश्नाधीन शासकीय भूमि पर विकेता विकमजीतसिंह को वैधानिक स्वत्व प्राप्त नहीं थे, इस कारण उन्हें प्रश्नाधीन भूमि विकय करने का अधिकार नहीं था और ऐसे विकयपत्र के आधार पर केता को वैध स्वत्व प्राप्त नहीं होते और ऐसे विकयपत्र के आधार पर किया गया नामान्तरण भी अवैध है। अतः कलेक्टर ने स्वमेव निगरानी में प्रश्नाधीन भूमि आराजी नं0 234 रकबा 123.12 एकड़ मध्यप्रदेश शासन के नाम दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूध्द प्रस्तुत की गयी निगरानी आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 8 1–96 खारिज की। राजस्व मण्डल ने अपने आदेश दिनांक 04–08–99 व्दारा आवेदकगण व्दारा निगरानी खारिज की।

3/ मान0 उच्च न्यायालय में याचिका क0 5317/1999 प्रस्तुत करने पर मान. उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 27–11–07 व्दारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर प्रकरण कलेक्टर को पिटीनर्स को सुनवायी का अवसर देने के पश्चात निराकरण करने के आदेश दिये गये। मान उच्च न्यायालय के आदेशानुसार कलेक्टर ने स्वमेव निगरानी प्रकरण में कार्यवाही प्रारम्भ की और आवश्यक कार्यवाही के बाद अपने आदेश दिनांक 10–10–2011 व्दारा प्रश्नाधीन आराजी नं0 234 रकबा 123.12 एकड़ विकमजीतसिंह को सुधार की शर्त पर डेढ़ वर्ष के लिये पट्टे पर देने किन्तु उनके व्दारा कोई सुधार नहीं करने और प्रश्नाधीन आराजी जंगल दर्ज होकर नाकाबिल काश्त दर्ज होने से विकमजीतसिंह को तत्कालीन रीवा राज्य कानून माल की धारा 57(4) के अनुसार गैर–हकदार नहीं है। विकमजीतसिंह को प्रश्नाधीन भूमि पर कोई वैध स्वत्व नहीं होने भूमि अन्तरण का अधिकार नहीं होने से उसके व्दारा किये गये विकयपत्र के आधार पर केता को वैध स्वत्व अन्तरित नहीं होने से प्रश्नाधीन भूमि म0प्र0शासन के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूध्द प्रस्तुत की गयी निगरानी अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 30–05–12 व्दारा खारिज की। अतः आवेदकगण व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की है।

4/ मैंने अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के विव्दान अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया। आवेदकगण के अभिभाषक ने लिखित तर्कों में यह तर्क प्रस्तुत किये हैं कि प्रश्नाधीन भूमि अब्दुल हमीद ने सन 1951 में पंजीयत विकयपत्र व्दारा विकमजीत सिंह से खरीदकर कब्जा दखल व मालिकाना हक प्राप्त किया था तथा खतौनी वर्ष 1958–59 में बतौर भूमिस्वामी हाजी अब्दुल हमीद दर्ज थे। यह भूमि वर्ष 1964 में महमूद अहमद, फकीर मोहम्मद एवं मकसूद अहमद के नाम बहैसियत शिकमी काश्तकार होने

से नामान्तरित हुई थी। वर्ष 1964 में प्रश्नाधीन भूमि के भूमिस्वामी हाजी अब्दुल हमीद थे और उन्हीं के जीवनकाल में नामान्तरण बहैसियत शिकमी काश्तकार के हुआ था। उनका तर्क है कि पंजीयत विकयपत्र को शून्य या प्रभावहीन घोषित करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है और राजस्व न्यायालय व्दारा पंजीयत विकयपत्र को शून्य या निष्प्रभावी घोषित नहीं किया जा सकता। उनका तर्क है कि वर्ष 1924–25 की खतौनी में विकमजीतसिंह पट्टेदार दर्ज है और इसके बाद 1951 के विकयपत्र के आधार पर हाजी अब्दुल हमीद 1958–59 की खतौनी में बतौर पट्टेदार भूमिस्वामी दर्ज है। इसके बावजूद भी प्रश्नाधीन भूमि को बन्दोवस्त वर्ष 1924–25 में लाल रयाही सन 1945–46 में भूमि सुधार हेतु डेढ़ साला तामियादी दिया जाना प्रविष्टि कर दी गयी, इस प्रविष्टि पर अधीनस्थ न्यायालय ने गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया क्योंकि 1945–46 का रिकार्ड मॅगाया गया तो रिकार्ड होना नहीं पाया गया। उनका यह भी तर्क है कि सीलिंग प्रकरण में प्रश्नाधीन भूमि स्व. हाजी अब्दुल हमीद के भूमिस्वामी हक की भूमि मानकर बहाल की गयी है। प्रश्नाधीन भूमि सन 1951 में पंजीकृत विलेख से स्व. हाजी अब्दुल हमीद ने कय की थी और इसके बाद वर्ष 1964–65 में बतौर शिकमी काश्तकार महमूद अहमद, फकीर अहमद, मकसूद अहमद के नाम बराबर–बरावर भूमि नामान्तरित होकर हुई। तत्पश्चात आवेदक क0–1 के नाम भूमि 1967 में रजिस्ट्री के आधार पर एवं 1990 में दूसरे आवेदक के नाम मौखिक हिबा के आधार पर नामान्तरण कार्यवाही हुई। उनका तर्क है कि 1964–65 का नामान्तरण विधि विरूध्द था, तब भी 30 वर्ष पश्चात कलेक्टर व्दारा स्वमेव निगरानी की कार्यवाही नहीं की जा सकती। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया है।

5/ अनावेदक शासन के पैनल अभिभाषक का यह तर्क है कि प्रश्नाधीन भूमि जंगल दर्ज होकर नाकाबिल काश्त राजस्व अभिलेख में दर्ज थी।

विकमजीतसिंह को प्रश्नाधीन डेढ़ वर्ष के लिये भूमि सुधार की शर्त पर पट्टे पर दी गयी थी जिसका इन्द्राज राजस्व अभिलेख में है। विकमजीतसिंह व्दारा भूमि का सुधार नहीं किया गया और भूमि नाकाबिल काश्त रही। भूमि पर काश्त करने पर ही कृषक को गैर–हकदार होना माना जा सकता है, किन्तु विकमजीतसिंह प्रश्नाधीन भूमि के गैर–हकदार नहीं होने से उन्हें प्रश्नाधीन भूमि पर कोई हक प्राप्त नहीं था, इस कारण 1951 में किये गये विकमजीतसिंह के विकयपत्र के आधार पर केता को कोई वैध स्वत्व अन्तरित नहीं होते। उनका यह भी तर्क है कि 1964–65 में शिकमी के आधार पर किया गया नामान्तरण भी क्षेत्राधिकार रहित एवं शून्यवत है क्योंकि सिर्फ कब्जे के आधार पर भूमिस्वामी स्वत्व प्रदान करने का प्रावधान संहिता में नहीं है। प्रश्नाधीन भूमि मौखिक या लिखित पट्टे पर देना और अनुबन्धानुसार प्रतिफल दिये जाने सिध्द नहीं किया गया है। उनका तर्क है कि ग्रामवासियों व्दारा शिकायती आवेदनपत्र प्रस्तुत करने पर कलेक्टर ने आवेदनपत्र की जॉच अधीनस्थ राजस्व पदाधिकारियों से करायी, तब कलेक्टर को अवैधानिकता एवं अनियमितता होने की जानकारी प्राप्त हुई और जानकारी के दिनांक से कलेक्टर ने स्वमेव निगरानी की कार्यवाही समयावधि में की है। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।

6/ अधीनस्थ न्यायालयों ने तथ्य के संबंध में समवर्ती निष्कर्ष निकाले हैं कि प्रश्नाधीन भूमि विकमजीतसिंह को सुधार की शर्त पर डेढ़ वर्ष के लिये पट्टे पर दी गयी थी, उसके व्दारा सुधार नहीं किया गया। खतौनी मे प्रश्नाधीन आराजी नं0 234 रकबा 123.12 एकड़ जंगल दर्ज होकर नाकाबिल काश्त दर्ज है। रीवा राज्य कानून मालगुजारी काश्तकारी 1935 की धारा 57(4) के अनुसार पवाईदार की अनुमति या बिना अनुमति के जमीन पर काबिज होकर काश्त करने पर उस कृषक को गैर--हकदार माना जायेगा। प्रश्नाधीन भूमि खतौनी में जंगल दर्ज है और खतौनी के कॉलम नं0 3 में गौईयत

'नाकाबिल' है, इसलिये विकमजीतसिंह की हैसियत गैर–हकदार की नहीं मानी जा सकती। प्रश्नाधीन भूमि जंगल होकर नाकाबिल काश्त होने से विकमजीत सिंह को जब प्रश्नाधीन भूमि पर कोई वैध स्वत्व प्राप्त नहीं थे, तब विकमजीत सिंह व्दारा किये गये विकयपत्र के आधार पर केता को वैध स्वत्व अन्तरित होना मान्य नहीं किया जा सकता। राजस्व अभिलेख में नाम अंकित होने के आधार पर हाजी अब्दुल हमीद को प्रश्नाधीन भूमि पर विधिवत स्वत्व प्राप्त होना मान्य नहीं किया जा सकता, जब तक कि यह सिध्द नहीं किया जाय कि किस प्रकार उन्हें वैध स्वत्व प्राप्त हुए। जैसा कि ऊपर अंकित किया जा चुका है कि विकेता विकमजीतसिंह को प्रश्नाधीन भूमि पर वैध स्वत्व प्राप्त नहीं थे, इस कारण विकमजीतसिंह व्दारा किये गये विकयपत्र के आधार पर केता हाजी अब्दुल हमीद को प्रश्नाधीन भूमि पर कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होते। ऐसी दशा में प्रश्नाधीन भूमि कलेक्टर व्दारा राजस्व अभिलेख में शासकीय अंकित करने के आदेश देने में कोई त्रुटि नहीं की है जिसे विव्दान अपर आयुक्त व्दारा भी यथावत रखा गया है।

7/ ग्रामवासियो व्दारा कलेक्टर के समक्ष दिनांक 28–6–93 को आवेदनपत्र प्रस्तुत करने पर कलेक्टर व्दारा अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार, त्यौथर को जॉच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। तहसीलदार, त्यौथर का प्रतिवेदन दिनांक 7–7–93 एवं अनुविभागीय अधिकारी का प्रतिवेदन दिनांक 14–7–93 प्राप्त होने पर कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 24–7–93 व्दारा प्रकरण स्वमेव निगरानी में पंजीबध्द करने के आदेश दिये और आवेदकगण को कारण बताओ सूचनापत्र जारी किया गया। इससे स्पष्ट है कि कलेक्टर व्दारा ग्रामवासियों के शिकायती आवेदनपत्र की जॉच कराने पर अवैधानिकता एवं अनियमिततायें पायी जाने एवं सार्वजनिक निस्तार की शासकीय भूमि पर आवेदकगण का कोई वैध स्वत्व नहीं होने से संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत स्वमेव निगरानी की कार्यवाही की गयी है जो

कलेक्टर की जानकारी में आने के दिनांक से समयावधि में है। मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर ने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय विरूध्द राजस्व मण्डल तथा अन्य एवं म0प्र0शासन तथा अन्य विरूध्द अलोक कुमार लोहिया तथा अन्य (रिट याचिका कमांक 7313/2002 एवं 27452/2003 आदेश दिनांक 08–01–13) में 40 वर्ष का समय व्यतीत हो जाने पर भी फ्रोड कलेक्टर की जानकारी में आने के दिनांक से स्वमेव निगरानी की कार्यवाही को समयावधि में होना मान्य किया है। ऐसी दशा में आवेदक का तर्क मान्य योग्य नहीं है।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी खारिज की जाती है। अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 30–05–13 तथा कलेक्टर का आदेश दिनांक 10–10–2011 यथावत रखे जाते हैं।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0